

बाह्य परिपत्र सं. 49 / डॉस – 14 / 2023 EC No. 49 /DoS - 14/2023 17 मार्च 2023 17 March 2023

संदर्भ .सं.एनबी.डॉस प्र.का. / 6067 /एन्श्यौर/ पी-177 / 2022-23 Ref. No. NB. DoS. HO. / 6067 /ENSURE /P-177 / 2022-23

सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के अध्यक्ष The Chairman All Regional Rural Banks

प्रिय महोदय/महोदया Dear Sir/Madam

स्थलेतर निगरानी प्रणाली: ओएसआर-10 विवरणी – अतिरिक्त डेटा बिन्दु Off-site Surveillance System: OSR-10 return – Additional data points

कृपया दिनांक 25 फरवरी 2022 का हमारा परिपत्र संख्या राबैं. डॉस. प्रका./ 4417/एन्श्यौर /पी-177 / 2021-22 देखें जिसमें गुणात्मक मानदंडों और कुछ अन्य अलेखापरीक्षित/ लेखापरीक्षित गुणात्मक मानदंडों पर जानकारी प्राप्त करने के लिए "ओएसआर-10" नामक एक तिमाही विवरणी की शुरुआत की गई थी. इन विवरणियों को प्रस्तुत करने की आवधिकता और समयसीमाएँ दिनांक 28 मार्च 2022 के परिपत्र संख्या राबैं.डॉस.प्रका/ ओएसएस/ 4826/ पी.63/ 2021-22 द्वारा निर्धारित की गई थी.

Please refer to our circular No. NB. DoS. HO./ 4417/ENSURE /P-177 / 2021-22 dated 25 February 2022 wherein a quarterly return named "OSR-10" was introduced to capture information on qualitative parameters and a few other unaudited / audited quantitative parameters. The periodicity and timelines for submission of the returns prescribed vide circular No. NB. DoS. HO/OSS/4826/P.63/2021-22 dated 28 March 2022.

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

पर्यवेक्षण विभाग

प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 6812 0039 • फ़ैक्स: +91 22 2653 0103 • ई मेल: dos@nabard.org

Department of Supervision

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 6812 0039 • Fax: +91 22 2653 0103 • E-mail: dos@nabard.org



- हम यह सूचित करते हैं कि दिनांक 29 दिसंबर 2022 को संपन्न अपनी 88वीं बैठक में पर्यवेक्षण बोर्ड ।राज्य सहकारी बैंकों, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों हेताु ने बैंकों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा और बड़े बैंकों का विश्लेषण (31 मार्च 2022 की स्थिति में वित्तीय स्थिति के संदर्भ में निरीक्षित) करते समय यह निर्देश दिया था कि पर्यवेक्षित संस्थाओं को सूचित किया जाए कि वे सीआरएआर और अन्य मुख्य मानदंडों, जैसे- आरओए, एनआईएम, पीसीआर, जीएनपीए, एनएनपीए, शुद्ध लाभ आदि का आकलन तिमाही आधार पर करें और उस डेटा को एन्श्यौर में प्रस्तुत करें. इसके फलस्वरूप नाबार्ड अन्य बातों के साथ-साथ पर्यवेक्षित संस्थाओं के निष्पादन के विश्लेषण की प्रभावकारिता में योजनाबद्ध और समयबद्ध रूप से सुधार कर सकेगा.
- 3. पर्यवेक्षण बोर्ड के निर्देशानुसार, ओएसआर-10 विवरणी को संशोधित कर उसमें अतिरिक्त डेटा बिन्दुओं को शामिल करने का निर्णय लिया गया है. संशोधित विवरणी 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाली तिमाही से प्रभावी होगी और सभी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे निर्धारित विवरणी को एन्श्यौर पोर्टल के माध्यम से सतत आधार

2. We advise that, while reviewing the financial position of banks and analysis of large banks (inspected with reference to financial position as on 31 March 2022), the Board of Supervision [for StCBs, DCCBs and RRBs] (BoS), in its 88th meeting held on 29 December 2022, directed that the Supervised Entities (SEs) may be advised to assess CRAR and other key parameters like RoA, NIM, PCR, GNPA, NNPA, net profit etc. on quarterly basis and submit the data in ENSURE which would, inter alia, enable NABARD to improve the efficacy of analysing the performance of Supervised Entities in a systematic and timely manner.

3. In accordance with the directions of BoS, it has been decided to revise the "OSR-10 return by including additional data points. The revised return will be effective from quarter ending 31 March 2023 and all banks are advised to ensure submission of the prescribed return through ENSURE portal on an ongoing basis. The bank



पर प्रस्तुत करें. बैंक इस संबंध में अपनी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करें और अपनी आंतरिक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) में उपयुक्त परिवर्तन/सुधार करें ताकि वित्तीय संकेतकों की गणना शुद्ध रूप से की जाए जिससे विवरणियों की सही और समयबद्ध प्रस्तुति सुनिश्चित की जा सके.

- 4. पुनः उल्लेख है कि स्थलेतर निगरानी प्रणाली (ओएसएस) के अंतर्गत सभी विवरणियों को पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) के अध्यक्ष और अनुपालन अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ओएसएस विवरणियाँ प्रस्तुत करते समय बैंक समयबद्धता और सटीकता को समुचित महत्व देते हैं.
- 5. इसके अलावा, ओएसएस/एफएमएस विवरणियाँ नाबार्ड द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 27(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्धारित की गई हैं और इसलिए ये सांविधिक हैं. पर्यविक्षित निकायों (एसई) को बिना किसी चूक के निर्धारित अनुसूची के अनुसार इन विवरणियों की प्रस्तुति सुनिश्चित करनी चाहिए. इन विवरणियों को प्रस्तुत न करने/इनमें गलत रिपोर्टिंग करने पर उक्त अधिनियम के तहत विनियामक कार्रवाई की जाएगी.

may evaluate the requirements and make suitable changes/improvements in its internal MIS so that the financial indicators are computed correctly to ensure timely accurate submission of returns.

- 4. We reiterate that all the returns prescribed under Off-site Surveillance System (OSS) are to be certified by the Chairman and Compliance Officer of your bank to ensure that the banks attach significant importance to timeliness and accuracy in submission of the OSS returns.
- 5. Further, the OSS / FMS returns are prescribed by NABARD in exercise of the powers conferred under Section 27(3) of Banking Regulation Act, 1949 and are, hence, statutory in nature. The SEs should ensure submission of these returns as per the schedule prescribed, without fail. Non-submission or wrong reporting in these returns will attract regulatory action as specified in the Act, *ibid*.



6. कृपया इस परिपत्र की पावती हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें.6. Please acknowledge receipt of this circular to our Regional Office concerned.भवदीयYours faithfullyह/- (के एस रघुपति) मुख्य महाप्रबंधकSd/- (K.S. Raghupathi) Chief General Manager